पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 21.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों, बस स्टैण्ड में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 21.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद की पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया।

जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में पुलिस बल द्वारा बैंकों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें बैंक परिसर में लगे सुरक्षा उपकरणों अग्निशामक यंत्र, अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे आदि की कार्यशीलता की जाँच की गई। बैंक के आस-पास खड़े संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की भी सघन चेकिंग की गई।

इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड क्षेत्र में गश्त करते हुए विभिन्न बसों एवं ऑटो वाहनों की तलाशी ली गई एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक पूछताछ की गई। यात्रियों से संवाद स्थापित करते हुए सुरक्षा संबंधी सुझाव लिए गए एवं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ हो।

जनपद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।

इसी क्रम में आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद महोबा में बीट कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाये जाने हेतु थानों से आये महिला बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः 21.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं जनसुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस कार्यालय में बीट प्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में जनपद के प्रत्येक थाने से एक-एक महिला बीट पुलिस अधिकारी को आमंत्रित कर उनकी बीट बुक का अवलोकन एवं निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने महिला बीट पुलिस अधिकारियों को बीट प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से अपने-अपने बीट क्षेत्रों में भ्रमण करें एवं बीट बुक को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखें। उन्होंने यह भी कहा कि महिला बीट पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में सतत् सक्रियता बनाए रखें एवं अपने-अपने बीट क्षेत्र में महिलाओं से संवाद स्थापित कर महिला सम्बन्धित शिकायती सूचनाओं का समय से संकलन करें, जिससे महिला सम्बन्धी अपराधों में कमी लायी जा सके तथा सभी प्रविष्टियों को पूर्ण, प्रामाणिक एवं पारदर्शी ढंग से दर्ज करें।

पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान बीट बुक चेक करते हुए पुलिस की प्राथमिकता पर बल देते हुए कहा कि ऐसी उत्तरदायी कार्यशैली से पुलिस और जनमानस के बीच विश्वास की डोर और अधिक मजबूत होगी, जिससे अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी एवं कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने जिलाबदर अपराधी को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाबदर/पुरस्कार घोषित/वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रचलित अभियान "ऑपरेशन धरपकड़" के तहत आज दिनांक- 21.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित वरि0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान प्रतीक्षालय भूरा टूडर तिराहा हाईवे रोड के पास से 01 नफर जिलाबदर अपराधी को आदेश श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय महोबा के वाद सं0 154/2024 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D202407480000154 अन्तर्गत धारा 3(3) अधिनियम- उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप राजपूत पुत्र धरमपाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय महोबा के जिला बदर आदेश का उलंघन करने व अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 83/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधि0 1970 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. वरि0 उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी
2.उ0नि0 अजय प्रताप सिंह 3.हे0कां0 विनय कुमार सोमवंशी

गिरफ्तार अभियुक्त-

संदीप राजपूत पुत्र धरमपाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1..मु0अ0स0 76/23 धारा 376(2N)/323/504/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट महोबकंठ
2.मु0अ0सं0 02/23 धारा 379/411 भादवि एव 4/21 खान खनिज (विकास एव विनियम) अधि0 1957 थाना महोबकंठ
3. मु0अ0सं0 209/22 धारा 60 आब0 अधि0 थाना महोबकंठ
4.मु0सि0सि0नं0 131/23 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना महोबकंठ
5.मु0सि0सि0नं0 01/24 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना महोबकंठ
6.मु0अ0सं0 39/20 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज(विकास एंव विनिमय अधि0) थाना महोबकंठ
7.मु0अ0सं0 44/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधि0 1970 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महोबकंठ
8. मु0अ0सं0 83/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधि0 1970 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महोबकंठ

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शराब के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को सम्बन्धित अभियोग में दोषसिद्ध घोषित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व व 2500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 690/2010 धारा 60 आबकारी एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त भागीरथ रेकवार पुत्र प्रभु दयाल रैकवार निवासी जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 30 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन पक्ष के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप ए.डी.जे. (एसटीसी) कोर्ट महोबा द्वारा अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार होने वाले आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास एवं ₹ 30 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु0अ0सं0 716/2017 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र भग्गू यादव नि0 मो0 शेखनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा को 02 वर्ष के कारावास एवं ₹ 30 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सुरेन्द्र राजपूत
अभियोजन अधिकारी

हे.का. प्रेमबाबू द्विवेदी
पैरोकार थाना कोत0 नगर महोबा